न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.एम.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–36/2018

उनवान

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ।

–वादी

बनाम

1– गोपाल लाल पिता कालु भील , निवासी भैरुखेडा तहसील हुरडा ।
2– रतनलाल पिता पेमा भील निवासी , भैरुखेडा तहसील हुरडा ।
3– गोपाल पिता धन्ना भील निवासी मजरा परसरामपुरा तहसील हुरडा ।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– पैरोकारराज , नायब तहसीलदार हुरडा ।

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:आदेश:–

दिनांक– 29.06.2018

1– वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम आगुँचा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 3898, 3899, 3900, 3901 किता–4 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि लादू पिता मांगू, छोटू पिता रामा, नाथू , रतना पिता देवा भील के खातेदारी की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 1968 – 2071 में दर्ज रिकार्ड थी ।

2– आगुँचा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 3898, 3899, 3900, 3901 किता–4 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा को रजिस्टर विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2015 से गोपाल लाल पिता कालु भील, रतनलाल पिता पेमा भील, हिस्सा 2/3, गोपाल पिता धन्ना हिस्सा 1/3 भील के नाम से खरीद की गई है।

3– विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2015 के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम नामांतकरण संख्या– 5607 दिनांक को खोला जाकर जमाबन्दी में इन्द्राज किया गया ।

4– कालम नम्बर– 1 में वर्णित आराजीयात पटवारी हल्का व भू0अ0नि0 की रिपोर्ट व मौका पर्चा दिनांक 16.02.2018 के अनुसार प्रतिवादीगण के नाम से ही कुतुबुदीन पिता कमरुदीन , नीलगर सा. देह भैरुखेडा तहसील हुरडा के द्वारा खरीद की गई है ।

5– वादग्रस्त आराजीयात कि ग्राम आगुँचा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 3898, 3899, 3900, 3901 किता–4 रकबा 05 बीघा 08

Scanned by CamScanner

बिस्वा भूमि पर वक्त खरीद से प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नही होकर मौके पर कुतुबुदीन पिता कमरुदीन मुसलमान नीलगर नही होकर मौके पर कुतुबुदीन पिता कमरुदीन मुसलमान सा.देह भैरुखेडा का कब्जा काश्त है ।

6– वादग्रस्त आराजीयात जो कि अनुसूचित जन जाति व्यक्ति की थी उसको बेनानी रुप से प्रतिवादीगण के नाम से श्री कुतुवुदीन पिता कमरुदीन नीलगर स्वर्ग जाती के व्यक्ति ने खरीद कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी का स्पष्ट उल्घंन किया गया है ।

7– वादग्रस्त भूमि अनुसूचित वर्ग की भूमि को स्वर्णजाति वर्ग के व्यक्ति के द्वारा क्रय कर कब्जा करने से उक्त वादग्रस्त भूमि को विलानाम राज्य सरकार के नाम दर्ज कराने के अधिकरी है ।

8– निगरदावर हल्का आगुँचा की रिपोर्ट दिनांक 19.02.2018 के अनुसार वादी को वादकरण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

9– अन्त में अंकित किया गया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर कॉलम नम्बर– 1 में वर्णित आराजीयात को प्रतिवादीगण के खाते से हटाई जाकर बिलानाम सरकार दर्ज कराये जाने की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें ।

10– प्रस्तुत वाद पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये ।

11– चुँकि प्रकरण में कोई प्रतिवाद उपलब्ध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई । पैरोकारराज के द्वारा अपने वादपत्र की ताहीद में पी.डब्लु.–1 गोपाल भील पी.डब्लु–2 रामलाल ब्राह्मण, पी. डब्लू–3 रामेश्वर जाट, के बयान करवाये गये । तथा अन्य कोई गवाह पेश नही करना चाहने से साक्ष्य वादी स्टेज बन्द की गई ।

12– पैरोकाराराज की इस्तदुआ पर उनकी एकतरफा बहस सूनी गई । वक्त बहस पैरोकारराज का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात किता 4 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि लादू पिता मांगू , छोटू पिता रामा, नाथू, रतना पिता देवा भील के खातेदारी की आराजीयात थी । उक्त आराजीयात को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2015 से गोपाल लाल पिता कालु भील, रतन लाल पिता पेमा भील, गोपाल पिता धन्ना भील के नाम से कुतुबुदीन पिता कमरुदीन मुसलमान निलगर निवासी भैरुखेडा के द्वारा बेनामी खरीदकर धारा 42 बी. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955 का स्पष्ट उल्घंन किया गया है । अन्त में कथन किया कि अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि को स्वर्णजाती वर्ग के व्यक्ति के द्वारा खरीदकर

Scanned by CamScanner

कब्जा करने से उक्त वाद ग्रस्त भूमि को बिलानाम राज्य सरकार के नाम दर्ज कराने के आदेश फरमाया जावे ।

13– मेने पैरोकारराज को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

14– वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 मौजा आगुँचा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 3898, 3899, 3900, 3901 किता 4 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि लादू पिता मांगू , छोटू पिता रामा, नाथू, रतना, पिता देवी भील साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा विरासत से जरिये नामान्तकरण संख्या– 5736 दिनांक 07.11.2014 से लादू के बजाय ईश्वर, महावीर, सॉवर, पिता लादू, लाडदेवी पुत्री लादू, रुकम देवी पत्नि लादू भील साकिन देह का नाम दर्ज आया तथा विक्रय से जरिये नामान्तकरण संख्या– 5807 दिनांक 08.04.2015 से गोपालाल पिता कालु , रतन लाल पिता पेमा, हिस्सा 2/3, साकिन भैरुखेडा , गोपाल पिता धन्ना, हिस्सा 1/3, साकिन देह मजरा परसरामपुरा जाति भील दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

15– यहॉ पैरोकारराज का कथन है कि वादग्रस्त भूमि को कुतुबुदीन पिता कमरुदीन मुसलमान नीलगर निवासी भैरुखेडा के द्वारा प्रतिवादीगण के नाम से खरीदकर कब्जा किया गया है जो धारा–42 बी का स्पष्ट उल्घंन है । अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा मौका पर्चा दिनांक 16.02.2018 का प्रस्तुत किया गया है । उक्त मौका गिरदावर हल्का बसामलात हल्का पटवारी आगुँचा के साथ दिनांक 16.02.2018 को वादग्रस्त आराजीयात का देखा जाकर अपने मोके पर्चे में अंकित किया गया कि "—— उपस्थित मुतवीरान देह ने बताया कि खातेदार श्री गोपाल लाल पिता कालु , रतन लाल पिता पेमा भील तथा गोपाल पिता धन्ना भील ने यह जमीन नही खरीदी है । कुतुबुदीन ने इस बेनामी सम्पति की रजिस्ट्री करवा ली है । तथा उक्त आराजीयात पर ग्राम वासियों के बताये अनुसार कब्जा कुतुबुदीन पिता कमरुदीन निलगर साकिन भैरुखेडा का ही है । ——" साथ ही वादी के गवाह पी.डब्लु.–1 गोपाल पिता धन्ना भील जो कि वादग्रस्त आराजीयात के हाल खातेदार है उसने भी अपने बयानों मे यह कथन किया कि "—— ग्राम आगुँचा की आराजी नम्बर– 3898, 3899, 3900, 3901 को में जानता हुँ , इस जमीन को मेंने व रतन लाल, गोपाल पिता कालु भील ने मोल नही खरीदी यह जमीन कुतुबुदीन पिता कमरुदीन नीलगर मुसलमान निवासी भैरुखेडा ने लादू पिता मांगू, छोटू पिता रामा, नाथू, रतना पिता देवा भील से मोल खरीदी थी । इस जमीन पर कब्जा कुतुबुदीन का है, हमारा कब्जा नही है।——" वादी के स्वतन्त्र गवाह पी.डब्लू–2 रामलाल ने भी अपने बयानों में कथन किया कि "——— में इस जमीन को जानता हुँ । जमीन आगुँचा में है पेट्रोल पम्प के सामने है। गॉव में सूना है कि यह जमीन

Scanned by CamScanner

कुतुबुदीन पिता कमरुदीन नीलगर निवासी भैरुखेडा ने रामलाल , गोपाल भील के नाम पर लादू , छोटू, नाथू भील से मोल खरीदी है । गोपाल पिता धन्ना भील मेरे जान पहचान का होने से मैं जानता हुँ ।——" पी.डब्लू–3 रामेश्वर जाट ने भी अपने बयानों में कथन किया कि "——— विवादित आराजीयात के सामने मेरा पेट्रोल पम्प लगा हुआ है , आराजी के नम्बर तो मुझे मालुम नही है जमीन लगभग 05 बीघा के करीब है , विवादित जमीन कुतुबुदीन पिता कमरुदीन नीलगर की खरीदशुदा है । इस जमीन पर कुतुबुदीन का ही कब्जा है । जमीन किसके नाम से खरीदी यह मुझे मालुम नही है । ——" वादी के उक्त गवाहों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात जो अनुसूचित जन जाति की भूमि है उसको स्वर्ण वर्ग के कुतुबुदीन नीलगर मुसलमान के द्वारा खरीद की गई है । जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा – 42 (ख) का स्पष्ट उल्घंन किया गया है। और ऐसा अन्तरण (विकय) आरम्भतः ही शून्य माना गया है ।

16– समग्र रुप से हम पाते है कि आराजी मुतदउाविया पूर्व खातेदार लादू पिता मांगू, छोटू पिता रामा, नाथू, रतना पिता देवा भील जो कि अनुसूचित जन जाति के सदस्य है से कुतुबुदीन पिता कमरुदीन नीलगर मुसलमान जो स्वर्ण जाती से है के द्वारा बेनामी तौर पर प्रतिवादीगण के नाम से कय कर धारा–42 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्घंन किया है, और ऐसा अन्तरण (विकय) आरम्भतः ही शून्य माना गया है । चुँकि विवाद ग्रस्त आराजीयात के विकेता लादू पिता मांगू, छोटू पिता रामा, नाथू, रतना पिता देवा भील के द्वारा आराजी मुतदाविया का प्रतिफल प्राप्त कर लिया गया है । तथा राजस्व रिकार्ड भी प्रतिवादीगण के पक्ष में हस्तान्तरण हो चूका है । ऐसी स्थिति में भू–धारक (अब एकमात्र राज्य ही भू–धारक है) तथा अभीधारी (अन्तरक /विकेता) और अन्तरिति (क्रेंता) दोनो ही इस भूमि से बेदखली के दायी हो जाते है। लिहाजा न्यायालय यह आदेश सूनाया जाना मुनासिब समझता है कि

–::निर्णय::–

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा आगुँचा की आराजी नम्बर– 3898, 3899, 3900, 3901 किता 4 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आराजीयात को तत्काल बिलानाम सरकार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत करें । निर्णय की एक प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार हुरडा को दी जावें । तद्नुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावें । पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को खुली अदालत में सूनया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

APP-Av

मूल वाद में डिक्री

(आदेश–20 के नियम–6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या– 36/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ।

–वादी

बनाम

1 गोपाल लाल पिता कालु भील, रतनलाल पिता पेमा भील, निवासीयान भैरुखेडा, तहसील हुरडा . गोपाल पिता धन्ना भील निवासी मजरा परसरामपुरा . तहसील हुरडा ।

–प्रतिवादीगण

प्रेषितिः–

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 175 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से पैरोकारराज प्रतिवादी की ओर से XXX की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 29.06.2018 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा आगुंचा की आराजी नम्बर– 3898, 3899, 3900, 3901 किता 4 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रू. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें। यह आज तारीख 29.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा
न्यायाधीश

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर लीडर की फीस	00		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00		5. आदेशिका की तामील	00	00
6.कमिश्नर की फीस–तलवाना	00	00	6. कमिश्नर की फीस		00
7. आदेशिका की तामील	00				
8. स्टाम्प	00				
योग	00	00		00	00

Scanned by CamScanner